न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/39/2025	2025/310	19.11.2025	08.04.2026

1. दौलत पुत्र स्व० श्री बद्रीप्रसाद, निवासी खुडियाना उप तहसील बहादरपुर, जिला अलवर हाल निवासी खोह दरीबा, तहसील टहला, जिला अलवर (राज.)
2. रमेश पुत्र स्व० श्री बद्रीप्रसाद, निवासी खुडियाना उप तहसील बहादरपुर, जिला अलवर हाल निवासी खोह दरीबा, तहसील टहला, जिला अलवर (राज.)
3. वारिस काबिज जायदाद मृतक बद्रीप्रसाद पुत्र छोटा जाति खटीक, निवासी ग्राम खुडियाना उप तहसील बहादरपुर, जिला अलवर हाल निवासी खोह दरीबा, तहसील टहला, जिला अलवर (राज.)

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. उप तहसीलदार बहादरपुर, तहसील व जिला अलवर (राज०)

—असल रेस्पोडेण्ट

2. अशोक पुत्र स्व० श्री बद्रीप्रसाद, निवासी खोह दरीबा, तहसील टहला, जिला अलवर (राज०)
3. श्रीमती उगन्ती पुत्री स्व० श्री बद्रीप्रसाद, पत्नी श्री पप्पूराम,, निवासी अजबगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज०)
4. श्रीमती गीता पुत्री स्व० श्री बद्रीप्रसाद, पत्नी श्री गिर्राज, उम्र करीब 65 साल, निवासी ग्राम पोस्ट पूठी, तहसील रामगढ़, जिला अलवर (राज०)

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 770 निर्णय दिनांक 09.04.2025 व 06.08.2025 उप—तहसीलदार बहादरपुर, तहसील व जिला अलवर राज0।

उपस्थितिः—
01—श्री जगदीश चन्द सतीजा —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट

—:निर्णयः—

यह अपील अपीलाण्टान द्वारा विद्वान वकील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय उप—तहसीलदार, बहादरपुर जिला अलवर के आदेश दिनांक 09.04.2025 एवं 06.08.2025, जिसके द्वारा मृतक बद्रीप्रसाद की विरासत का नामान्तकरण संख्या 770 खारिज किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्टान एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट के पिता बद्रीप्रसाद पुत्र छोटा जाति खटीक जो ग्राम खुडियाना उप तहसील बहादरपुर जिला अलवर के निवासी थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनके वारिसान अपीलाण्टान एवं तरतीबी रेस्पोडेण्टान है। अपीलाण्टान एवं तरतीबी रेस्पोडेण्टान अपने जीवन यापन हेतु ग्राम खुडियाना जो उनका निवास स्थान था खोह दरीबा, तहसील टहला में आकर रहने लग गये तथा यहीं से तरतीबी रेस्पोडेण्ट पुत्रियों उगन्ती एवं गीता का विवाह कर दिया किन्तु मृतक बद्रीप्रसाद की आराजी खसरा नम्बर 590 रकबा 0.39 है० की देखभाल व कार्य काश्त अपीलाण्टान द्वारा खोह दरीबा रहते हुए किया जाता रहा है। बद्रीप्रसाद जी का देहान्त दिनांक 29—08—2003 को हो चुका तथा उनकी बेवा यानि अपीलाण्टान की माता का देहान्त दिनांक 24—03—2015 को हो चुका है। इस प्रकार मृतक बद्रीप्रसाद के अपीलाण्टान एवं तरतीबी रेस्पोडेण्टान के अलावा कोई अन्य वारिस नहीं

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

है। अपीलाण्टान वो तरतीबी रेस्पोडेण्टान कानून से अनभिज्ञ है तथा इस विश्वास में रहे कि बद्रीप्रसाद के मरने के उपरान्त उनकी विरासत उनके नाम स्वतः ही दर्ज रिकॉर्ड हो जायेगी। किन्तु ऐसा ना होते हुए मृतक बद्रीप्रसाद की विरासत का इन्तकाल अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेण्टान के नाम दर्ज नहीं हो पाया तथा इसी दौरान बद्रीप्रसाद की बेवा अर्थात अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेण्टान की माता श्रीमती गुलाब देवी का भी देहान्त हो गया। जानकारी होने पर मृतक बद्रीप्रसाद की विरासत के सम्बन्ध में उप तहसीलदार, बहादरपुर में कार्यवाही आरम्भहुई और मृतक बद्रीप्रसाद के वारिसान के सम्बन्ध में पटवार हल्का खोह दरीबा से जानकारी की गई जिस पर दिनांक 09–04–2025 को राजस्व अधिकारी/पटवारी की रिपोर्ट आने पर दिनांक 06–08–2025 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए इंतकाल संख्या 770 खारिज फरमा दिया गया।

हम अपीलाण्टान को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 09–04–2025 को हुई। हम अपीलाण्टान ने अपील प्रस्तुत करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है। उक्त देरी माफ फरमाये जाने योग्य है। रफेहुज्जत के लिए दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश है अपील अन्दर अवधि शुमार किये जाने योग्य है। आलोच्य आदेश पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना हुई है हम अपीलाण्टान को सुनवाई का मौका नहीं दिया इसलिए आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय जिस मैनर ऑफ अप्रोच से दिया गया है वह मनमाना विधि विरूद्ध होने के आधार पर निरस्त होने योग्य है।

यहां यह गौर तलब हे कि तहत न्यायालय में अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेण्टान के अलावा मृतक ब्रदीप्रसाद के अन्य कोई वारिस नहीं है और ना ही किसी दीगर व्यक्ति के द्वारा यह आपति की गई कि अपीलाण्टान वो तरतीबी रेस्पोडेण्टान मृतक बद्रीप्रसाद के वारिस नहीं है। इस प्रकार का विवाद के अभाव में तहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। तहत अदालत का निर्णय अस्पष्टता पर आधारित है जब अपीलाण्टान व रेस्पोडेण्टान खुडियाना में निवास नहीं रखते तो जहां उनका कारोबार खोह दरीबा में है और वहां से सकूनत के सम्बन्ध मे राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट भी आ चुकी थी तो ऐसी स्थिति में वारिस का सकूनत के सम्बन्ध में कोई जांच अथवा विवाद शेष नहीं रहा तथा मृतक बद्रीप्रसाद की विरासत का इंतकाल अपीलाण्टान और तरतीबी रेस्पोडेण्टान के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर निर्णित किया जाना चाहिए था किन्तु इसके बावजूद उप तहसीलदार, बहादरपुर द्वारा बेजा तरीके पर आलोच्य आदेश पारित कर इंतकाल संख्या 770 विधि विरुद्ध तरीके पर खारिज फरमाया गया है जो आदेश निरस्त किया जाकर इंतकाल संख्या 770 अपीलाण्टान एवं तरतीबी रेस्पोडेण्टान के नाम जो दर्ज है वो स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है तथा अलग से काफी प्रयास के बावजूद मात्र इंतकाल संख्या 770 की ई–मित्र से प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई है और यदि कोई अन्य आदेश इसके अलावा होगा तो उसको प्रस्तुत करने हेतु अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टान स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 09–04–2025 व 06–08–2025 को निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक बद्री प्रसाद की विरासत का इंतकाल अपीलाण्टान एवं तरतीबी रेस्पोडेण्टान के नाम स्वीकार किया।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2025 के विरूद्ध दिनांक 17.11.2025 को पेश की गयी है जो करीब 03 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अति॰ जिला कलक्टर (प्रथम)
अजमेर (राज॰)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पूर्ण।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक बद्रीप्रसाद के वारिसान के रूप में अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेण्टान के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति दर्ज कराई है। पटवारी हल्का खोह दरीबा से वारिसान की तस्दीक भी हो चुकी थी। केवल निवास स्थान बदलने के कारण या तकनीकी आधार पर विरासत का नामान्तकरण खारिज करना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तकरण बहाल किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (रेस्पोडेण्ट सं. 1) ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का समर्थन किया, परन्तु यह स्वीकार किया कि यदि वारिसान निर्विवाद हैं, नियमानुसार विरासत दर्ज होनी चाहिए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि मृतक बद्रीप्रसाद उक्त आराजी के दर्ज खातेदार थे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार की मृत्यु के उपरान्त उसकी सम्पत्ति उसके विधिक वारिसों में निहित होती है। अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार, बहादरपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 770 को खारिज करने का जो आधार लिया गया है, वह रिकॉर्ड के अवलोकन से उचित प्रतीत नहीं होता। अपीलाण्टान द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वे वर्तमान में खोह दरीबा में निवास कर रहे हैं और वहां के राजस्व अधिकारी/पटवारी की रिपोर्ट व सरपंच ग्राम पंचायत खोह दरीबा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक के वारिसान की पुष्टि भी की जा चुकी है। मृतक बद्रीप्रसाद की मृत्यु और उनकी पत्नी की मृत्यु के तथ्य निर्विवाद हैं। अपीलाण्टान और तरतीबी रेस्पोडेण्टान के अलावा मृतक का कोई अन्य वारिस सामने नहीं आया है और न ही किसी तीसरे पक्ष ने कोई आपत्ति दर्ज कराई है। केवल इस आधार पर कि वारिसान मूल गाँव खुडियाना में निवास नहीं करते, उन्हें पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह प्राप्त रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर मृतक की विरासत का निस्तारण करते। बिना किसी ठोस विवाद के नामान्तकरण संख्या 770 को खारिज करना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.04.2025 व 06.08.2025 निरस्त किये जाने योग्य है और अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार, बहादरपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 09.04.2025 एवं 06.08.2025 तथा नामान्तकरण संख्या 770 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक श्री बद्रीप्रसाद पुत्र छोटा जाति खटीक की विरासत का नामान्तकरण उनके विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार तस्दीक करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)